उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या /VIII/16–31(श्रम)/2015
देहरादून 8, जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

कारखानों/वाणिज्यिक स्थापनाओं के लिए स्वप्रमाणीकरण योजना, 2016
Voluntary Compliance Scheme (VCS), 2016

उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों एवं वाणिज्य गतिविधियों के विकास एवं उन्हें विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन से होने वाली अनावश्यक कठिनाईयों, पंजियों एवं विवरणियों की बहुलता से उत्पन्न कठिनाईयों के निवारण हेतु तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और कल्याण प्राविधानों के साथ समझौता किये बगैर उद्यमियों/नियोजकों को स्वप्रेरणा से श्रम कानूनों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु "स्व–प्रमाणीकरण सह एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना" प्रारम्भ की जा रही है। जिसे संक्षेप में स्व–प्रमाणीकरण योजना या Voluntary compliance scheme (VCS), 2016 कहा जायेगा।

(अ) योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे:–

01. यह योजना खतरनाक व अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों को छोड़कर शेष समस्त कारखानों/दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं, मोटर परिवहन स्थापनाओं हेतु होगी।
02. किसी भी उद्यमी/स्थापना द्वारा योजना में भागीदारी ऐच्छिक होगी। अर्थात् कोई भी उद्यमी/नियोजक योजना अंतर्गत शामिल होने अथवा न होने हेतु स्वतंत्र होगा।
03. जो उद्यमी इस योजना में सम्मिलित होने हेतु विकल्प प्रस्तुत करेंगे, उन्हें निम्नानुसार 14 अधिनियमों के अंतर्गत अनावश्यक निरीक्षणों व इन सभी अधिनियमों के अंतर्गत संधारित की जाने वाली पंजियों व विवरणियों से छूट प्राप्त होकर मात्र एक एकीकृत पंजी संधारित की जायेगी तथा जिन अधिनियमों में त्रैमासिक अथवा अर्द्धवार्षिक विवरणी प्रेषित किया जाना प्राविधानित है, उनमें त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा अन्य में दो एकीकृत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने होंगे:–

अधिनियम:–

1. संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970
2. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
3. कारखाना अधिनियम, 1948
4. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002।
5. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979
6. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
7. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
8. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
9. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946

10.उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001
11.उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
12.बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
13.उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
14.वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

योजना अंतर्गत सम्मिलित उद्योगों/स्थापनाओं के लिए निरीक्षण प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

1. कारखानों/उद्यमों/वाणिज्य स्थापनाओं से प्राप्त विवरण–पत्रों का परीक्षण करके श्रमिकों की संख्या के अधार पर अधिकतम से प्रारम्भ कर प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत कारखानों के विवरणों का भौतिक सत्यापन एक संयुक्त टीम जिसमें अलग–अलग क्षेत्रों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, सहायक निदेशक कारखाना एवं उप श्रम आयुक्त सम्मिलित होंगे, के द्वारा कारखानों/वाणिज्य स्थापनाओं का निरीक्षण संबंधित कारखानों/वाणिज्य स्थापनाओं प्रबन्धकीय प्रतिनिधि तथा यथासम्भव संबंधित कारखानों/उद्यमों/वाणिज्य स्थापनाओं के श्रमिकों के पंजीकृत यूनियन/कमेटी एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा। टीम का गठन अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

कारखानों का निरीक्षण/सत्यापन के सम्बन्ध में रोस्टर का निर्धारण सम्बन्धित अपर/उप श्रम आयुक्त एवं उप निदेशक कारखाना एवं संयुक्त रूप से किया जायेगा और निरीक्षण/सत्यापन की तिथि की सूचना सम्बन्धित इकाई को कम से कम 07 दिन पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी।

2. दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान में अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा गठित संयुक्त टीम जिसमें 02 श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रम आयुक्त सम्मिलित होंगे, के द्वारा दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के प्राप्त विवरण–पत्रों का परीक्षण करके संयुक्त टीम द्वारा आकूपायर/स्वामी/प्रबंधक की उपस्थिति में किया जायेगा, जिसकी सूचना 07 दिन पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी।

3. जिन प्रतिष्ठानों से निर्धारित समय–सीमा के भीतर विवरणी प्राप्त नहीं होते हैं, तो अपर/उप श्रम आयुक्त /उप निदेशक कारखाना स्वयं या संयुक्त टीम को निरीक्षण हेतु निर्देशित कर सकते हैं।

4. उपरोक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया विभाग की अधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगी।

5. साधारणतया किसी भी एक उद्योग/संस्थान पर एक से अधिक श्रम कानून लागू होते हैं, ऐसे उद्योगों/संस्थानों का निरीक्षण वर्ष में एक बार तथा उसी समय समस्त लागू श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण किया जाये।

6. यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सहायक श्रम आयुक्त/सहायक निदेशक, कारखाना/उप श्रम आयुक्त/उप निदेशक कारखाना या उनसे उच्च अधिकारी अभिलेख मंगाकर जांच कर सकते है। यदि जांच के दौरान यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अभिलेखों की जांच प्रतिष्ठान स्तर पर की जाये, ऐसी दशा में संबंधित

अधिकारी स्वयं अथवा अन्य सहायक अधिकारी सहित प्रतिष्ठान में जाकर जांच करेंगे।

8. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण कार्यवाही क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्रम संख्याः अंकित जारी निरीक्षण प्रपत्र में ही की जायेगी। निरीक्षण टिप्पणीयों का रखरखाव निरीक्षणगण एवं कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षणों की सूचना विभाग की वेबसाईट पर 48 घंटे के भीतर अपलोड की जायेगी।

9. न्यूनतम वेतन से कम भुगतान, विलम्ब से भुगतान, अनाधिकृत कटौती व ओवरटाईम भुगतान नहीं करने अर्थात किसी भी प्रकार का भुगतान सम्बन्धी मामलों में अनुपालना हेतु अधिकतम् 15 दिन का समय दिया जायेगा। इस अवधि के अतिरिक्त अनुपालन हेतु नियोजक को कोई समयावधि/अवसर नहीं दिया जायेगा, तथा अनुपालन न होने की दशा में संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा प्रार्थना पत्र अनिवार्य रूप से दायर कर दिया जायेगा।

10. निरीक्षण किये जाने के पश्चात निरीक्षण में पाई गयी कमियों को दूर करने/अनुपालना के लिए सभी कार्यवाही संयुक्त टीम में सम्मिलित अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी करेंगे, जिनके द्वारा निरीक्षण किया गया है।

11. निर्धारित समय में यदि अनुपालना प्राप्त नहीं होती है, तो अपर श्रम आयुक्त /उप श्रम आयुक्त/उप निदेशक कारखाना या उनसे उच्च अधिकारी अभियोजन दायर करने हेतु स्वीकृति प्रदान करेंगे। लेकिन यह अन्तिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाए।

योजना अन्तर्गत शामिल होने हेतु प्रक्रियाः–

1. यह योजना स्वैच्छिक होगी।
2. योजना में शामिल होने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है, अर्थात कोई भी कारखाना, दुकान, वाणिज्यिक अधिष्ठान या अन्य स्थापना के नियोजक/उद्यमी कभी भी योजना में शामिल हो सकते हैं।
3. इच्छुक कारखाना, दुकान, वाणिज्यिक अधिष्ठान या अन्य स्थापना के नियोजक/उद्यमी योजना में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र संस्थान के पूर्ण विवरण सहित प्रपत्र–I में, घोषणा पत्र/शपथ पत्र, प्रपत्र II में सुरक्षा निधि की राशि श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड के पक्ष में चालान/बैंक ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त/अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं।
4. अधीनस्थ कार्यालयों में प्राप्त आवेदन पत्र 07 दिन के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा, तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा 15 दिन के भीतर यह सूचना श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. आवेदन पत्र प्राप्त होने के 06 सप्ताह के भीतर आवेदन का परीक्षण कर आवेदन पत्र में पायी गयी कमियों अथवा आवेदन पत्र स्वीकार करने की स्थिति से संबंधित आवेदक को अवगत करा दिया जायेगा।

6. योजना में शामिल हो जाने की स्थिति में उद्यमी को प्रपत्र III के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दिनांक 01 से 30 अप्रैल के मध्य तथा प्रपत्र IV में वार्षिक विवरणी कैलेण्डर वर्ष के लिए 01 से 30 जनवरी के मध्य तथा त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक विवरणी अधिनियम में यथाप्राविधानित समयान्तर्गत सम्बन्धित जिला स्तरीय/क्षेत्रीय कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करानी होंगी।

7. निर्धारित समय–सीमा में जमा न कराने की स्थिति में एस0एम0एस0/ई0मेल/लिखित सूचना द्वारा स्मरण कराते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जायेगा, जिसमें नियोजक को अनिवार्य रूप से विवरणी दाखिल करने होगें। अन्यथा की दृष्टि में सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाए।

8. नियोजक को उक्त सभी अधिनियमों के अन्तर्गत पृथक–पृथक पंजिया न रखते हुए मात्र एक प्रपत्र V में संधारित करना होगा और निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. कारखाना, दुकान, वाणिज्यिक अधिष्ठान या अन्य स्थापना के नियोजक/उद्यमी को स्व–प्रमाणीकरण व–प्रमाणीकरण प्रपत्र VI भरकर सम्बन्धित श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त/अपर श्रम आयुक्त कार्यालयों/सहायक निदेशक/उप निदेशक कार्यालयों तथा श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा करना होगा।

10. योजना में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र के साथ सुरक्षा निधि के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को देय हो, संलग्न करना होगा:–

संस्थान में 0–20 श्रमिक (स्थायी/संविदा)	–	रूपये 5,000=00
संस्थान में 21–100 श्रमिक (स्थायी/संविदा)	–	रूपये 10,000=00
संस्थान में 101–300 श्रमिक (स्थायी/संविदा)	–	रूपये 25,000=00
संस्थान में 301–500 श्रमिक (स्थायी/संविदा)	–	रूपये 40,000=00
संस्थान में 500 से अधिक श्रमिक (स्थायी/संविदा)	–	रूपये 50,000=00

11. उक्त राशि 05 वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात पुनश्चय निर्धारित सुरक्षा निधि जमा करानी होगी। यदि कोई कारखाना, दुकान, वाणिज्यिक अधिष्ठान या अन्य स्थापना के नियोजक/उद्यमी योजना से बाहर आना चाहता है , तो 01 वर्ष की अवधि में 20 प्रतिशत, 01–02 वर्ष के भीतर की अवधि में 40 प्रतिशत, 02–03 वर्ष की अवधि 60 प्रतिशत, 03–04 वर्ष की अवधि में 80 प्रतिशत तथा 04–05 वर्ष की अवधि में 100 प्रतिशत कटौती कर ली जायेगी।

12. यदि किसी कारखाना, दुकान, वाणिज्यिक अधिष्ठान या अन्य स्थापना के नियोजक/उद्यमी के विरूद्ध योजना अवधि के अन्तर्गत किये गये किसी भी

निरीक्षण का पालन प्रतिवेदन लम्बित है अथवा प्राप्त किसी शिकायत की जांच लम्बित/प्रक्रियाधीन है तो उक्त कार्यवाही पूर्ण होने तक योजना से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

विविध :–

1. योजना का प्रारम्भ कार्यालय ज्ञाप जारी होने की तिथि से माना जायेगा।
2. योजना में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र/घोषणा पत्र नियोजक स्थापना के निम्न पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगाः–

(1) एकल नियोजक/प्रोप्रायटरशिप स्थापना–फर्म के नियोजक/प्रोप्रायटर।
(2) पार्टनरशिप फर्म–फर्म का कोई भागीदार/प्रबन्धक।
(3) कम्पनी–कम्पनी द्वारा अधिकृत डायरेक्टर/प्रबन्ध संचालक।
(4) कारखाने –आक्यूपायर/कारखाना प्रबन्धक/अधिकृत प्रबंधक।

उपरोक्त योजना से प्रतिष्ठान बार–बार के निरीक्षण तथा सामान्यतः पूर्व सूचना के आधार पर निरीक्षण होने से उसका उद्देश्य दण्डात्मक कार्यवाही न करके कारखाना, दुकान, वाणिज्यिक अधिष्ठान या अन्य स्थापना के नियोजक/उद्यमी को श्रम मानकों के अनुपालन हेतु मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना है। उपरोक्तानुसार वर्णित योजना में सम्मिलित कारखाना, दुकान, वाणिज्यिक अधिष्ठान या अन्य स्थापना के नियोजक/उद्यमी 05 वर्ष तक निरीक्षण/अभियोजन कार्यवाही से मुक्त रहेंगे।

(आर.के.सुधांशु)
सचिव।

संख्या 1737 (1) /VIII/31(श्रम)/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त कुमाऊं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
6. अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
7. उप/सहायक निदेशक कारखाना, उत्तराखण्ड।
8. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9. समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस.एस.टोलिया)
संयुक्त सचिव।

आवेदन पत्र (स्व–प्रमाणीकरण सह एकीकृत वार्षिक विवरणी तथा निरीक्षण योजना)

प्रपत्र–1

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी
उप श्रमायुक्त/ उप निदेशक कारखाना/ सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी
जिला.....।

विषयः स्व–प्रमाणीकरण सह एकीकृत वार्षिक विवरणी तथा निरीक्षण योजना (Voluuntary compliance Scheme) में सम्मिलित होने हेतु आवेदन।

आवेदन श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रारम्भ की गयी स्व–प्रमाणीकरण सह एकीकृत वार्षिक विवरणी तथा निरीक्षण योजना (Voluuntary compliance Scheme) में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक है। हमारी स्थापना/कारखाना संबंधी विवरण निम्न प्रकार है।

1. स्थापना का नाम एवं पताः.....
2. स्थापना का पंजीयन क्रमांक.....
3. अधिनियम का नाम, जिसके अर्न्तगत स्थाना पंजीकृत है.....
4. स्थाना के स्वामित्व का प्रकारः प्रोप्रायटरशिप/भागीदार फार्म/कम्पनी.....
5. स्थापना के व्यवसाय/कार्य/उत्पादन का संक्षिप्त विवरणः.....
6. आवेदन वर्ष में नियोजित श्रमिक की अधिकतम संख्या (ठेकेदार श्रमिक सहित).....
7. नियोजक/नियोजकों का नाम व पताः.....
8. नियोजक का ई–मेल एवं दूरभाष क्रमांक.....
9. एस0एम0एस0 अर्लट हेंतु मोबाईल क्रमांक.....

मैने उक्त योजना को भलि–भाती अध्ययन कर लिया है और समक्ष लिया है। हमारी स्थापना कारखाना अधिनियम, 1948 कर धारा 85 के अर्न्तगत खतरनाक/अति खतरनाक श्रेणी में नही है। मैं उक्त योजना के प्रावधानों का पूणताः पालन करूंगा।

योजना के अनुसार सुरक्षा राशि रूपये.....इस आवेदन के संलग्न श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/चालान क्रमांक.....दिनांक.....बैंक का नाम..... .....ब्रांच.....के माध्यम से जमा की जा रही है। यदि योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् स्थापना/कारखाना में श्रमिक संख्या में वृद्धि होती है तो योजना में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार हमारें द्वारा सुरक्षा निधि में वृद्धि के अन्तर की राशि निर्धारित समयावधि में जमा की जायेगी।

उक्त सम्पूर्ण विवरण मेरे निजि ज्ञान में एवं जानकारी के आधार पर सही व सत्य है।

स्थान..... आवेदक का नाम.....
दिनांक..... स्थापना अर्न्तगत पदनाम.....

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो की सूची

1. बैंक ड्राफ्ट/चालान
2. घोषणा पत्र।

घोषणा–पत्र

प्रपत्र–II

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

1. मै घोषणाकर्ता कथन करता/करती हूँ कि:–

मेरा नाम –

पिता/पति का नाम –

आयु –

निवास का पता –

संस्थान/स्थापना का नाम –

संस्थान/स्थापना का नाम –

2. यह कि, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रारम्भ की गई स्व–प्रमाणीकरण सह एकीकृत वार्षिक विवरणी तथा निरीक्षण योजना (Voluuntary compliance Scheme) के अवलोकन पश्चात उसमे सम्मिलित होने हेतु मेरे द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें उल्लेखित समस्त विवरण मेरे द्वारा निजि ज्ञान के आधार पर सही व सत्य है। मै यह वचन देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना अवधि में उक्त योजना की शर्तो का समुचित परिपालन किया जायेगा। योजनान्तर्गत निर्धारित एकीकृत पंजी संधारित की जायेगी और निर्धारित 2 वार्षिक विवरणों यथासमय प्रस्तुत की जायेगी। पंजी व विवरणियों मे असत्य प्रविरूिटयॉ नही की जायेगी। उक्त आवेदन पत्र के समस्त विवरण को इस घोषणा का अंग समक्षा जायेगा जिसके समर्थन में यह घोषणा पत्र प्रस्तुत है।

स्थान.....

दिनांक.....

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

घोषणाकर्ता का नाम.....

संस्थान/स्थापना अर्न्तगत पदनाम.....

सत्यापन

मै घोषणाकर्ता सत्य प्रतिज्ञा पर प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा पत्र का सम्पूर्ण विवरण मेरे निजि ज्ञान एवं जानकरी के आधार पर सही व सत्य है। उक्त घोषणा पत्र में कोई असत्य बात नही लिखाई गई है तथा न ही किसी बात को छिपाया गया है।

स्थान.....

दिनांक.....

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

घोषणाकर्ता का नाम.....

संस्थान/स्थापना अर्न्तगत पदनाम.....

प्रपत्र–III

(30 अप्रैल के पूर्व प्रषित करें)

"कारखानों/वाणिज्यक स्थापनाओं के लिये स्व–प्रमाणीकरण सह एकीकृत वार्षिक विवरणी तथा निरीक्षण योजना

(Voluuntary compliance Scheme)

वित्तीय वर्ष .....हेतु वार्षिक विवरणी

(संबंन्धित उप श्रम आयुक्त/उप निदेशक कारखाना को प्रस्तुत करते हुए एक प्रतिलिपि श्रम आयुक्त को प्रेषित करें)

सामान्य भाग

1. स्थापना का विवरण

(a) स्थापना का नाम.....

.....

(b) स्थापना का पता.....

.....

2. (c) स्थापना किस अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत है (संबंधित विकल्प को टिक करें) तथा उसका पंजीकरण न0 अंकित करें।

(1) उत्तराखण्ड दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

(2) कारखाना अधिनियम, 1948

(3) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

(4) अन्य (उल्लेख करें)

(d) नियोजक का नाम.....

(e) नियोजक का पता.....

.....

(f) नियोजक का ई–मेल.....

(g) नियोजक का दूरभाष क्रमांक (कार्यालय).....(आवास).....

(h) मोबाईल नम्बर.....

(i) प्रबंधक तथा स्थापना पर नियंन्त्रण रखने वाले/पर्यवेक्षकीय उत्तरदायी रखने वाले व्यक्ति का नाम व पता.....

(j) व्यवसाय/कार्य/उत्पादन का संक्षिप्त विवरण.....

.....

03. लागू होने वाले अधिनियम के पंजीयन का विवाण
(केवल लागू होने वाले अधिनियम की प्रविष्टि करें)

क्र0स0	अधिनियम का नाम (संबंधित अधिनियम को टिक करे)	पंजीयन/अनुज्ञापी क्रमांक	जारी करने/अंतिम नवीनीकरण का दिनांक
1.	उत्तराखण्ड दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958/कारखाना अधिनियम 1948/मोटर परिवहन अधिनियम 1961		
2.	संविदा श्रम अधिनियम , 1970 (यदि लागू हो)		
3.	अर्न्तराजीय प्रवासी कर्मकार (नियोजक का विनियम एवं सेवा की शर्ते अधिनियम, 1979 (यदि लागू हो)		
4.	अन्य		

04. वित्तीय वर्ष में स्थापना पर सीधे नियोजित श्रमिकों का विवरण (संविदा श्रमिकों को छोडकर)

अ. प्रतिदिन नियोजक श्रमिकों की औसत संख्या.....

ब. एक दिन में किये जाने वाले कार्य के औसत घंटे (अधिकतम कार्य सहित).....

स. वर्ष में मानव दिवसों की संख्या

1: पुरूष .....

2: महिला.....

3: कुमार .....

4: बालक.....

कुल .....

साप्ताहिक अवकाश का दिन (टिक करें)

(सोमवाल/मंगलवार/बुधवार/गुरूवार/शुक्रवार/शनिवार/रविवार)

द. पारियों का समय

प्रथम पारी: समय..... बजे से ..... तक

द्वितीय पारी: समय..... बजे से ..... तक

तृतीय पारी: समय..... बजे से ..... तक

वित्तीय वर्ष में कुल कार्य दिवस: .....

05: ठेकेदार का विवरण यदि (यदि हो तो)

कार्यरत ठेकेदार की संख्या	नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या					वर्ष में कुल मानव दिवस
	पुरूष	महिला	कुमार (14 से 18 वर्ष की आयु के मध्य)	बालक (14 वर्ष से कम आयु)	योग	

06: बोनस भुगतान अधिनियम, 1965:

वित्तीय वर्ष में बोनस से लाभान्वित श्रमिकों की संख्या:

बोनस के रूप में भुगतान योग्य कुल राशि	समझौते का विवरण (यदि कोई हो)	घोषित बोनस का प्रतिशत	वास्तविक भुगतान किये गये बोनस की राशि	बोनस भुगतान का दिनांक	क्या सभी नियोजितों को बोनस का भुगतान किया गया है। (हाँ/नहीं)	किसी नियोजित श्रमिक को भुगतान नहीं करने का कारण (यदि लागू हो)
1	2	3	4	5	6	7

07: वित्तीय वर्ष में सेवा निवृत्त/छंटनी किये गये/कार्यमुक्त आदि श्रमिकों का विवरण:

श्रमिकों की संख्या				भुगतान की गयी स्वत्य की राशि (प्रकार सहित)
आयु पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त	छंटनी किये गये	सेवा मुक्त/पृथक्कीकरण/निष्कासित	सेवा समाप्ति पर भुगतान किये गये स्वत्व	

08: वित्तीय वर्ष में कुल मानव दिवसों की हानि का विवरण (कारण सहित):

क0सं0	कारण	मानव दिवस की कुल हानि (संख्या)	राशि के रूप में क्षति (राशि)
a	हड़ताल		
b	तालाबन्दी		
c	खतरनाक दुघर्टना		
d	गैर खतरनाक किन्तु गंभीर दुघर्टना		
e	अन्य		
	कुल		

09: उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में श्रमिकों को प्रदत्त उपादान का विवरण:

क0सं0	श्रमिक का नाम	नियोजन कमांक	सेवानिवृत्ति/छंटनी का दिनांक	सेवा की अवधि (वर्ष एवं दिवस)	अंतिम प्राप्त मासिक वेतन (रू0)	भुगतान की गयी उपादान की राशि (रू0)	भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसका कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

श्रम कल्याण निधि में अंशदान का विवरण (9 से अधिक श्रमिक नियोजित होने पर लागू):

कर्मचारियों की संख्या	श्रम कल्याण निधि में जमा किया गया अंशदान (रू0)			अतिरिक्त भुगतान (यदि कोई हो)
	कर्मचारियों का अंशदान	नियोजक का अंशदान	कुल अंशदान (अर्द्धवार्षिक)	
1	2	3	4	5

दिनांक :.....

स्थान:

नियोजक/प्रबन्धक के डिजीटल हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

स्थापना में पद .....

प्रपत्र IV

(30 जनवरी के पूर्व प्रषित करें)

*कारखानों/वाणिज्यक स्थापनाओं के लिये स्व–प्रमाणीकरण सह एकीकृत वार्षिक विवरणी तथा निरीक्षण योजना

(Voluuntary compliance Scheme)

कैलेण्डर वर्ष .....हेतु वार्षिक विवरणी

(संबन्धित उप श्रम आयुक्त/उप निदेशक कारखाना को प्रस्तुत करते हुए एक प्रतिलिपि श्रम आयुक्त को प्रेषित करें)

सामान्य भाग

1. स्थापना का विवरण

(a) स्थापना का नाम.....

.....

(b) स्थापना का पता.....

.....

2. (C) स्थापना किस अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत है (संबंधित विकल्प को टिक करें) तथा उसका पंजीकरण न0 अंकित करें।

(1) उत्तराखण्ड दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

(2) कारखाना अधिनियम, 1948

(3) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

(4) अन्य (उल्लेख करें)

(d) नियोजक का नाम.....

(e) नियोजक का पता.....

.....

(f) नियोजक का ई–मेल.....

(g) नियोजक का दूरभाष क्रमांक (कार्यालय).....(आवास).....

(h) मोबाईल नम्बर.....

(i) प्रबंधक तथा स्थापना पर नियंन्त्रण रखने वाले/पर्यवेक्षकीय उत्तरदायी रखने वाले व्यक्ति का नाम व पता.....

(j) व्यवसाय/कार्य/उत्पादन का संक्षिप्त विवरण.....

.....

03. लागू होने वाले अधिनियम के पंजीयन का विवाण
(केवल लागू होने वाले अधिनियम की प्रविष्टि करें)

क्र0स0	अधिनियम का नाम (संबंधित अधिनियम को टिक करे)	पंजीयन/अनुज्ञापी क्रमांक	जारी करने/अंतिम नवीनीकरण का दिनांक
1.	उत्तराखण्ड दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958/कारखाना अधिनियम 1948/मोटर परिवहन अधिनियम 1961		
2.	संविदा श्रम अधिनियम , 1970 (यदि लागू हो)		
3.	अर्न्तराजीय प्रवासी कर्मकार (नियोजक का विनियम एवं सेवा की शर्ते अधिनियम, 1979 (यदि लागू हो)		
4.	अन्य		

04. कैलेण्डर वर्ष में स्थापना पर सीधे नियोजित श्रमिकों का विवरण (संविदा श्रमिकों को छोडकर)

अ. प्रतिदिन नियोजक श्रमिकों की औसत संख्या.....
ब. एक दिन में किये जाने वाले कार्य के औसत घंटे (अधिकतम कार्य सहित).....
स. वर्ष में मानव दिवसों की संख्या

1: पुरूष .....
2: महिला.....
3: कुमार .....
4: बालक.....
कुल .....

साप्ताहिक अवकाश का दिन (टिक करें)
(सोमवाल/मंगलवार/बुधवार/गुरूवार/शुक्रवार/शनिवार/रविवार)

द. पारियों का समय

प्रथम पारी: समय..... बजे से ..... तक
द्वितीय पारी: समय..... बजे से ..... तक
तृतीय पारी: समय..... बजे से ..... तक
वित्तीय वर्ष में कुल कार्य दिवस: .....

05: ठेकेदार का विवरण यदि (यदि हो तो)

कार्यरत ठेकेदार की संख्या	नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या					वर्ष में कुल मानव दिवस
	पुरूष	महिला	कुमार (14 से 18 वर्ष की आयु के मध्य)	बालक (14 वर्ष से कम आयु)	योग	

06: बोनस भुगतान अधिनियम, 1965:

कैलेण्डर वर्ष में बोनस से लाभान्वित श्रमिकों की संख्या:

बोनस के रूप में भुगतान योग्य कुल राशि	समझौते का विवरण (यदि कोई हो)	घोषित बोनस का प्रतिशत	वास्तविक भुगतान किये गये बोनस की राशि	बोनस भुगतान का दिनांक	क्या सभी नियोजितों को बोनस का भुगतान किया गया है। (हाँ/नहीं)	किसी नियोजित श्रमिक को भुगतान नहीं करने का कारण (यदि लागू हों)
1	2	3	4	5	6	7

07: कैलेण्डर वर्ष में सेवा निवृत्त/छंटनी किये गये/कार्यमुक्त आदि श्रमिकों का विवरण:

श्रमिकों की संख्या				भुगतान की गयी स्वत्व की राशि (प्रकार सहित)
आयु पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त	छंटनी किये गये	सेवा मुक्त/पृथक्कीकरण/निष्कासित	सेवा समाप्ति पर भुगतान किये गये स्वत्व	

08: कैलेण्डर वर्ष में कुल मानव दिवसों की हानि का विवरण (कारण सहित):

क0सं0	कारण	मानव दिवस की कुल हानि (संख्या)	राशि के रूप में क्षति (राशि)
a	हड़ताल		
b	तालाबन्दी		
c	खतरनाक दुघर्टना		
d	गैर खतरनाक किन्तु गंभीर दुघर्टना		
e	अन्य		
	कुल		

09: उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कैलेण्डर वर्ष में श्रमिकों को प्रदत्त उपादान का विवरण:

क0सं0	श्रमिक का नाम	नियोजन कमांक	सेवानिवृत्ति/छंटनी का दिनांक	सेवा की अवधि (वर्ष एवं दिवस)	अंतिम प्राप्त मासिक वेतन (रू0)	भुगतान की गयी उपादान की राशि (रू0)	भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसका कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

10: श्रम कल्याण निधि में अंशदान का विवरण (9 से अधिक श्रमिक नियोजित होने पर लागू):

कर्मचारियों की संख्या	श्रम कल्याण निधि में जमा किया गया अंशदान (रू0)			अतिरिक्त भुगतान (यदि कोई हो)
	कर्मचारियों का अंशदान	नियोजक का अंशदान	कुल अंशदान (अर्द्धवार्षिक)	
1	2	3	4	5

दिनांक :.....

स्थानः

नियोजक/प्रबन्धक के डिजीटल हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

स्थापना में पद .....

उपस्थिति–सह–वेतन / कटौती / अधिसमय / अग्रिम पंजी0

(प्रपत्र V)

माह .....

स्थापना का नाम एवं पता	
कार्यस्थल	
नियोजक / प्रबंधक का नाम	
पता	
कार्य का प्रकार / उत्पाद / व्यवसाय आदि	

श्रमिक का नाम एवं टोकन / परिचय पत्र कमांक	आयु / जन्म तिथि	पता	शैक्षणिक योग्यता	लिंग (म0 / पु0)	पिता / पति का नाम	उत्तराधिकारी का नाम एवं पता	पद / श्रेणी / आवंटित कार्य का प्रकार	कुल कार्य दिवस	अवकाश का प्रकार	प्राप्त अवकाश (दिवस की संख्या)	कुल शेष अवकाश	वेतन / वेतन दर(खंड प्रति / प्रति इकाई)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)